

केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.)

18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केंद्रीय विद्यालय संगठन

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

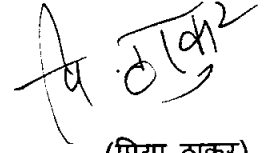
माननीय सांसद **Shri Y. S. Chowdary** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या.711 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	JANUMALA ASHRITHA	SH. JV CHALAPATHI MOB- 9849303217	2	GACHIBOWLI
2	GAJJELA HRUTHIK SAI	SH. GAJJELA ADINARAYANA MOB- 8106998620	1	AFS BEGUMPET
3	PERURI MANASVI	SH. SATISH PERURI MOB- 6301090965	2	GACHIBOWLI
4	J THANEESH	SH. JEENU SURYACHANDRA RAO MOB- 9000722234	1	HCU HYDERABAD
5	NERELLA ROHAN	SH. MERELLA VINCENT NAVEEN KUMAR MOB- 9912397024	1	NO.2 GOLCONDA
6	CHARAN ADITHYA K	SH. K VIJAY SUBBA RAO MOB- 9949377477	4	GACHIBOWLI
7	M UNNATHI	SH. M NARESH BABU MOB- 9087868989	1	AFS BEGUMPET
8	N HAVISH	SH. N HANU KIRAN MOB- 8801003055	1	GACHIBOWLI
9	VEERA DEEPIKA	SH. VEERA SRINIVAS MOB- 9346482084	2	AFS BEGUMPET
10	VEERA DHATRIK	SH. VEERA SRINIVAS MOB- 9346482084	5	AFS BEGUMPET

पि. ठाकुर कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Y. S. Chowdary माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **HYDERABAD** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)